समाहरणालय, जहानाबाद।

(जिला योजना शाखा)

फोन नं0 06114–223072
फैक्स संख्या – 06114–225741
ई–मेल : dm-jehanabad.bih@nic.in

पत्रांक /यो0
दिनांक वीं जनवरी, 2013

आदेश

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत जिला योजना कार्यालय, जहानाबाद के आदेश ज्ञापांक-155/यो0दिनांक-14.05.07 एवं आदेश ज्ञापांक-207/यो0दिनांक-18.03.08 द्वारा कुल ग्यारह हाई मास्ट लाईट की प्रशासनिक स्वीकृति मो0-4399989/- रू0 पर प्रदान करते हुए सिन्हा साईन्टिफिक कारपोरेशन, फ्रेजर रोड, पटना को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया था। उक्त कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी को मो0-4249962/- रू0 भुगतान किया जा चुका है। इनके द्वारा एकरारनामा के तहत निम्न शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

- Complete Supply, Erection, Commissioning and Installation with in 45 days of receipt of the order.
- The firm has to give warranty/ guarantee for one year from the date of satisfactory installation and commissioning of the euipments or 18 months from the date of dispatch, which ever is earlier, only for any manufacturing defects. The warranty/ guarantee however doesn't cover or include any electronic, electrical components, bulbs, whichever may require replacement with in the period.

अतः श्री सिंहा के विरूद्ध निम्न आरोप सिद्ध हुए है:-

- पत्रांक 164, दिनांक 10.05.2007 द्वारा निर्गत कार्यादेश के शर्तो के अनुसार हाईमास्ट लाईट का अधिष्ठापन 45 दिनों के अंदर किया जाना था। इनके द्वारा एकरारनामा के शर्तो का अनुपालन नहीं कर दिनांक 02.07.2007 को अवधि विस्तार कर 31.07.2007 तक पूर्ण करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद भी इनके द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी विधिवत हस्तगत नहीं कराया गया एवं पोल पर लगाये गये तालों की चाभी भी अभि तक जिला योजना कार्यालय या कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को हस्तगत नहीं कराया गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद ने अपने ज्ञापांक 432/21.04.2008 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ठाकुरबाड़ी में खम्भा खड़ा करके केवल छोड़ दिया गया है, लाईट नहीं जलते हैं। बतीस भवड़िया मोड़ एवं उटा मोड़ पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। राजाबाजार, अस्पताल मोड़, कारगिल चौक एवं गॉधी मैदान के पास के हाईमास्ट लाईट में टाइमर नहीं लगाये जाने के कारण लाईट दिन-रात जलते रहते हैं।
- जिला योजना कार्यालय के द्वारा अपने पत्रांक 658, दिनांक 15.09.2008 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद/ पत्रांक 656/15.09.2008 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुलासगंज एवं पत्रांक 657, दिनांक 15.09.2008 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर को विधिवत हाईमास्ट लाईटों का हस्तांतरण किया गया है।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुलासगंज को लगाये गये हाईमास्ट लाईट को हस्तगत कराते हुए उसके जलने के संबंध में प्राप्त किये गये प्रतिवेदन पत्रांक 50/मु0, दिनांक 24.10.2008 के अनुसार टाईमर नहीं लगाये जाने के कारण लाईट दिन-रात जलते रहते हैं।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर को टेहटा में लगाये गये हाईमास्ट लाईट को हस्तगत कराने के उपरांत उसके जलने का प्रतिवेदन प्राप्त करने पर उनके प्रतिवेदन पत्रांक 2176, दिनांक 17.11.2008 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि टेहटा में लगाये गये लाईट कुछ दिनों से नहीं जल रहे हैं।
- अस्पताल मोड़, जहानाबाद के पास लगे हाईमास्क लाईट विगत तीन मास से खराब रहने के कारण पत्रांक 859/यो0, दिनांक 25.11.2008 के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
- तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने दिनांक 22.06.2009 को संचिका संख्या I-08/2011 के टिप्पणी पृष्ट 51 में अस्पताल मोड़ वाली लाईट लंबे समय से खराब रहने का समाचार प्रकाशित किया गया है के संबंध में उल्लेख किया है एवं जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा आये दिन हाईमास्ट लाईट बंद रहने के संबंध में प्राप्त होने वाले

शिकायतों का उल्लेख दिनांक 18.06.2009 को अपने टिप्पणी संचिका संख्या I-08/2011 के टिप्पणी पृष्ट 50 में अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा लगाये गये उपस्कर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण ही प्रायः समस्या उत्पन्न होती रही है एवं इनके द्वारा गारंटी अवधि होने के बावजूद भी उसमें नियमित रूप से सुधार नहीं कराया गया है।

- तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने दिनांक 28.10.2009 को संचिका संख्या I-08/2011 के टिप्पणी पृष्ट 55 में maintainence की अवधि 06 माह अनुमोदित किया गया है, इसके बावजूद भी सभी हाईमास्ट लाईट इस अवधि में कार्यकारी एजेंसी के द्वारा नहीं जलाये गये है।
- अपर समाहर्त्ता (न0), जहानाबाद/ जिला पंचायत राज पदा0, जहानाबाद एवं कार्य0अभि0, विद्युत प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 237/न0, दिनांक 15.12.2009 समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि :-

क्र	योजना का नाम	स्थल जॉच में पाई गई स्थिति
1	कारगिल चौक के पास हाईमास्ट लाईट	कोई बल्व नहीं जल रहा है। टाईमर नहीं है। तार जल गया है। मोटर निकालकर बराबर में लगाया गया है।
2	अस्पताल मोड़ के पास हाईमास्ट लाईट	बारह बल्व में से आठ जल रहा है। टाईमर नहीं है। मेन स्वीच है।
3	गॉधी मैदान के पास हाईमास्ट लाईट	सभी बल्व जल रहा है। टाईमर नहीं है।
4	मलहचक मोड़ के पास हाईमास्ट लाईट	सभी बल्व बंद है। टाईमर नहीं है।
5	संगम पर ठाकुरबाड़ी के पास हाईमास्ट लाईट	बारह में से सात बल्व जल रहा है। टाईमर है। मेन स्वीच लगा है।
6	राजाबाजार के पास हाईमास्ट लाईट	छः बल्व जल रहा है। टाईमर था, हाल में खत्म हो चुका है।
7	बतीस भवड़िया मोड़ के पास हाईमास्ट लाईट	पॉच बल्व जल रहा है। टाईमर था। फयूज उड़ गया है। मेन स्वीच लगा है।
8	उँटा मोड़ के पास हाईमास्ट लाईट	बारह में से 11 बल्व जल रहा है। टाईमर है।
9	टेहटा टाउन के पास हाईमास्ट लाईट	छः बल्व जल रहा है।
10	बराबर रेस्ट हाउस के पास हाईमास्ट लाईट	कारगिल चौक वाला मोटर लगाने के बावजूद खराब पड़ा है।
11	हुलासगंज बाजार के पास हाईमास्ट लाईट	टाईमर है। सभी बल्व जल रहा है।

- विद्युत निरीक्षक, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक 1552/03.05.2010 को प्रतिवेदित किया है कि निरीक्षण के दौरान हाईमास्ट लाईट के लिए अर्थिंग की व्यवस्था अलग से नहीं पाई गई, अस्थाई रूप से अर्थिंग की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हालत में निकट में अधिष्ठापित ट्रांसफार्मर से जुड़ा पाया गया। अधिकांश पैनल बाक्स टूटा हुआ पाया गया एवं अलग से प्रयुक्त मेन स्वीच कम क्षमता का अस्थायी रूप से कार्यरत पाया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद ने अपने पत्रांक-462/28.08.2010 के द्वारा प्रतिवेदन किया है कि काको मोड़, अरवल मोड़, राजाबाजार, अस्पताल मोड़ एवं ठाकुरबाड़ी के हाईमास्ट लाईट नहीं जल रहे है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद ने अपने पत्रांक 405/मु0, दिनांक 08.09.2010 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सहायक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, जहानाबाद से हाइमास्ट लाईट ठीक कराने के बावजूद भी ठाकुरबाड़ी एवं बतीस भवड़िया पूल के पास के हाईमास्ट लाईट नहीं जल रहे हैं।
- कार्य0पदा0, नगर परिषद, जहानाबाद के द्वारा अपने पत्रांक-473/19.07.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ठाकुरबाड़ी, बतीस भवड़िया, अस्पताल मोड़, राजाबाजार, ऊटा मोड़, मलहचक मोड़ एवं काको मोड़ के हाईमास्ट लाईट दिनांक 28.10.2010 से नहीं जल रहे हैं, तथा बंद पड़े हैं।
- जिला योजना कार्यालय के ज्ञापांक 1139, दिनांक 30.11.2011 के द्वारा 56214/- रूपया की विमुक्ति की गई है। विमुक्त के साथ यह शर्त अंकित किया गया है कि छः माह के अन्दर खराब होने की स्थिति में कार्यकारी एजेन्सी

के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कार्य0पदा0, नगर परिषद्, जहानाबाद के ज्ञापांक 66/ 06.01.2012 के अनुसार गाँधी मैदान, ठाकुरबाड़ी, बतीस भवड़िया, राजा बाजार, ऊटा मोड़, मलहचक मोड़ एवं काको मोड़ की लाईट नहीं जल रही है। इससे स्पष्ट है कि इन्हें राशि दिये जाने के बावजूद भी लाईटों की मरम्मती कार्य ठीक से नहीं कराई गई है।

- जिला योजना कार्यालय, जहानाबाद के पत्रांक 347, दिनांक 17.02.2012 के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी को निदेश दिया गया था कि सभी हाईमास्ट लाईट को 15.03.2012 तक ठीक करा दें अन्यथा आपके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके बावजूद भी इनके द्वारा हाईमास्ट लाईट को ठीक नहीं कराया गया है।
- अपर समाहर्ता, की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जॉच दल जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद, कार्यपालक अभियंता, विधुत प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा पत्रांक 556, दिनांक 29.12.2012 को दिये गये संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि हाईमास्ट लाईट का अधिष्ठापन विशिष्टीओं के अनुरूप नहीं किया गया है, तकनीकी जॉच में अनेक गड़बड़ियों में एक मुख्य गड़बड़ी यह भी है कि अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग का कार्य अधिष्ठापन के साथ किया जाना आवश्यक था।

कार्यकारी एजेन्सी सिन्हा साईन्टिफिक कारपोरेशन, फ्रेजर रोड, पटना को हाईमास्ट लाईट को ठीक कराने का बहुत समय दिया गया परन्तु लम्बे समय बितने के बाबजूद इनके द्वारा इसे ठीक नहीं कराया गया एवं एकरारनामे के तहत सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है। कार्यकारी एजेन्सी सिन्हा साईन्टिफिक कारपोरेशन, फ्रेजर रोड, पटना के द्वारा लगाये गये हाई मास्ट लाईट निम्न स्तर का होने के कारण ही **Warranty Period** तक भी नियमित रूप से कभी प्रज्वलित नहीं हुआ, एवं बार-बार स्मारित किये जाने के बावजुद भी इनके द्वारा ठीक नहीं कराया गया। जिसके कारण वर्तमान में एक भी हाईमास्क लाईट नहीं जल रहे हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर कार्यकारी एजेंसी जिम्मेवार हैं।

अतः सिन्हा साईन्टिफिक कारपोरेशन, जगत ट्रेड सेन्टर, फ्रेजर रोड, पटना को काली सूची (**Black List**) में डाला जाता है।

19/01/13
जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 93 यो0/दिनांक 19-1-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, बेल्ट्रान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, ब्रेडा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के आलोक में सिन्हा साईन्टिफिक कारपोरेशन, जगत ट्रेड सेन्टर, फ्रेजर रोड, पटना के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी प्रशासी पदा0/सभी तकनीकी पदा0, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिले के बेवसाईट पर उक्त सूचना को अपलोड करेंगे।

प्रतिलिपि :- सिन्हा साईन्टिफिक कारपोरेशन, जगत ट्रेड सेन्टर, फ्रेजर रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/01/13
जिलाधिकारी, जहानाबाद।